रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229126
CG-DL-E-19082021-229126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943
No. 230] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SRAVANA 28, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

फा.सं. 23/35/2019-आरएण्डआर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 55 की उप धारा (1) के अंतर्गत बनाए गए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) (संशोधन) विनियम, 2019 के खंड 4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतदद्वारा मौजूदा मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा अधिसूचित करती है:

1. संचार नेटवर्क युक्त क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) को, नीचे विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, पूर्व भुगतान मोड में कार्य कर रहे स्मार्ट मीटरों से विद्युत की आपूर्ति, प्रासंगिक आईएस के अनुरूप, की जाएगी:

(i) सभी संघ राज्य क्षेत्रों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15% से अधिक एटी एंड सी हानियों के साथ शहरी क्षेत्रों में 50% अधिक से उपभोक्ता वाले विद्युत मंडलों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25% से अधिक एटी एंड सी हानियों वाले अन्य विद्युत मंडलों, ब्लॉक स्तर या उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों और सभी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर, 2023 तक पूर्व भुगतान मोड वाले स्मार्ट मीटरों से मीटरीकृत किया जाएगा:

परंतु कि राज्य विनियामक आयोग, अधिसूचना के माध्यम से, उस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्टित उपभोक्ताओं के एक वर्ग या वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्रों के लिए कारण बताते हुए, कार्यान्वयन की उक्त अवधि को केवल दो बार, लेकिन एक बार में छह माह से अधिक बढ़ाया नहीं बढ़ा सकेगा।

(ii) अन्य सभी क्षेत्रों को मार्च, 2025 तक पूर्व भुगतान मोड वाले स्मार्ट मीटरों से मीटरीकृत किया जाएगा:

परंतु कि ऐसे क्षेत्रों में जहां संचार नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा, प्रासंगिक आईएस के अनुरूप, पूर्व भुगतान मीटरों के अधिष्ठापन की अनुमति दी जा सकेगी:

(iii) सभी उपभोक्ता कनेक्शनों, जिनकी वर्तमान वहन क्षमता प्रासंगिक आई एस में विनिर्दिष्ट क्षमता से अधिक है, को ऐसे मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे जो एएमआर सुविधा युक्त स्मार्ट मीटर हैं।

2. सभी फीडरों और वितरण ट्रांस्फार्मरों (डीटीज) को नीचे विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार एएमआर सुविधा युक्त या एएमआई के अंतर्गत शामिल मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे:

(i) सभी फीडरों को दिसंबर, 2022 तक मीटरीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15% से अधिक एटी एंड सी हानियों वाले शहरी क्षेत्रों में 50% से अधिक उपभोक्ता वाले विद्युत मंडलों और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25% से अधिक एटी एंड सी हानियों वाले सभी अन्य विद्युत मंडलों में सभी डीटीज को दिसंबर, 2023 तक मीटरीकृत किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त (ii) में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी डीटीज को मार्च, 2025 तक मीटरीकृत किया जाएगा।

(iv) 25 केवीए से कम क्षमता वाले डीटीज और एचवीडीएस ट्रांसफार्मरों को उपरोक्त समय-सीमा से बाहर रखा जाएगा।

3. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2021

F.No. 23/35/2019-R&R.—In pursuance to the provisions made in clause 4(1) (b) of the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) (Amendment) Regulations, 2019 framed under sub-section (1) of section 55 read with clause(c) of sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby notifies the following timelines for the replacement of existing meters with smart meters with prepayment feature:

1. All consumers (other than agricultural consumers) in areas with communication network, shall be supplied electricity with Smart Meters working in prepayment mode, conforming to relevant IS, within the timelines specified below:

(i) All Union Territories, electrical divisions having more than 50% consumers in urban areas with AT&C losses more than 15% in financial year 2019-20, other electrical divisions with AT&C losses more than 25% in financial year 2019-20, all Government offices at Block level and above, and all industrial and commercial consumers, shall be metered with smart meters with prepayment mode by December, 2023:

Provided that the State Regulatory Commission may, by notification, extend the said period of implementation, giving reasons to do so, only twice but not more than six months at a time, for a class or classes of consumers or for such areas as may be specified in that notification;

(ii) All other areas shall be metered with smart meters with prepayment mode by March, 2025:

Provided that in areas which do not have communication network, installation of prepayment meters, conforming to relevant IS, may be allowed by the respective State Electricity Regulatory Commission:

(iii) All consumer connections having current carrying capacity beyond that specified in relevant IS, may be provided with meters with smart meters having AMR facility.

2. All feeders and distribution transformers (DTs) shall be provided with meters having AMR facility or covered under AMI, as per the timelines specified below:

(i) All feeders shall be metered by December, 2022.

(ii) All DTs in electrical divisions having more than 50% consumers in urban areas with AT&C losses more than 15% in financial year 2019-20, and in all other electrical divisions with AT&C losses more than 25% in financial year 2019-20, shall be metered by December, 2023.

(iii) All DTs in areas other than those mentioned in (ii) above, shall be metered by March, 2025.

(iv) DTs and HVDS transformers having capacity less than 25 kVA may be excluded from the above timelines.

3. This notification shall be effective from the date of publishing in the Gazette of India.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.19 16:00:40 +05'30'